



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 349/XXXVI(3)/2013/66(1)/2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 30 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष, 2013)

हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:-

- | | | |
|----------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में संशोधन | 2. | हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में जहां-जहां शब्द "हिमालयन विश्वविद्यालय" आये है, वहां-वहां शब्द "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय" पढ़े जायेंगे। |
| व्यावृत्ति | 3. | ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन कही गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कही गयी समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।